


<p>भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय कर्मयोगी भवन, सेक्टर-10A, चतुर्थ माला, ब्लॉक-2 , सी विंग, गांधीनगर ई -मेल: Gandhinagar.ibm@gmail.com</p>		<p>GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF MINES INDIAN BUREAU OF MINES Office of Regional Controller of Mines Karmayogi Bhavan, 4th Floor, Block-2, Sector-10A, Gandhinagar-382010, Gujarat</p>
--	--	---

सं- गुज/जाम/बौक्स-01

पंजीकृत पत्र

उल्लंघन पत्र

दिनांक :19.09.17

सेवा में : मेसर्स बॉम्बे मिनरल लिमिटेड
जामनगर-द्वारका हाइवे
जिला - देवभूमि द्वारका,
खम्बालिया-361 305 (गुजरात)

विषय: गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिला में स्थित आपकी नन्दना बाक्साइट खान, सर्वे नंबर-150 व 90, क्षेत्रफल 188.30 हेक्टर में खनिज संरक्षण व विकास नियमावली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन। **(Mine Code-07GUJ07044)**

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 08/07/2017 को आपकी उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया।

नियम स.	पाए गए उल्लंघन की विस्तृत प्रकृति
Rule 11(1)	<p>The mining operation are being carried out in violation of the following provision of the approved Scheme of Mining (Approved vide letter No. 682(23) (MS-588)/2007 UDP, dated 23.10.2012) for the period 2012-13 to 2016-17.</p> <p>i) In Para 5.1.5 during the year 2016-17 the production of Bauxite was proposed along the section N-N1 with average thickness of bench of 5.0m. But, during the inspection, it was observed that the production not carried out as per the proposals at designated location.</p> <p>i) As per the Chapter-10, Para-3, total 150 saplings proposed to be planted over backfilled area & statutory barrier during the year 2016-17 but no such plantation have carried out at designated locations against the proposals.</p>
Rule 14	<p><i>All the non-saleable or un-usable minerals above the threshold value of mineral, as may be notified by Indian Bureau of Mines from time to time, or otherwise shall be stacked separately on ground earmarked for the purpose.</i></p> <p>But, In your case, it is observed that non-saleable or un-usable mineral was stacked in unsystematic and haphazard manner in mining lease area.</p>
Rule 33	<p><i>The holder of a mining lease shall, on or before the 30th day of June every year submit a digital copy along with print copy of the Surface Geological plans and Sections maintained under Rule 32 of MCDR,2017</i></p> <p>In your case, you have not submitted the aforesaid plans & sections maintained under the Rule 32 of MCDR, 2017 to this office.</p>
Rule 55(1)(c)(i)	<p>A full time Geologist has not been appointed for the purpose of carrying out the mining operations in accordance with these rules</p>

02. इस संबंध में आपके ध्यान में लाया जाता है की उक्त उल्लंघन खनिज संरक्षण व विकास नियमावली, 1988 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है ।

03. इसके अतिरिक्त नियम 11(1) की पालना निर्धारित समयावधि में न होने पर नियम 11(2) के तहत खनन कार्य स्थगित किया जा सकता है, आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है, खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है ।

अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का तत्काल सुधार कर इसकी सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 45 (पैंतालीस) दिनों के अंदर इस कार्यालय को भेजे ।

भवदीय,

(संजय गिरहे)

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-

1. खान नियंत्रक (उ.) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर ।
2. आयुक्त, भूविज्ञान व खनन विभाग, ब्लॉक-1, 7वा माला, उद्योग भवन, गांधीनगर (गुज.),
3. सहायक भूविज्ञानी, भू-विज्ञान एवं खान विभाग, जिल्हा सेवा सदन-1 माला, लालपुर बायपास रोड, धरमपुर, खम्बालिया-361305.
4. रक्षित पत्रावली ।

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो